

07.11.25

पत्रावली पेश हुई। वकील अभयपक्ष उपस्थित।
प्राथमिक मूल वाद निस्तारित किया जा चुका है।
अतः यह प्रपत्र अंतर्निहित होने के कारण श्री
स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली अद
तरीब तकमील होकर डाकबिन्दू दफ्तार है।

निर्णय लिखाया जाकर जूरी न्यायालय
में बुझाया गया।


(प्रिया बाजाज)
RAS